फर्द अहकाम

नूरखां बनाम इमानअली वगैरह

वि. नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़

केस संख्या 96/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. महोदय राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 11/3/24 को पेश हो।	
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। विपक्षी सं० 1, 3, 4, व 6 अनुप० इनको बार-बार आवाज लगवाई गई एवं इन्तजार किया। लेकिन उप० नहीं। अतः विपक्षी सं० 1, 3, 4 व 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुए। वकील विपक्षी सं० 2, 5 ने जवाब न देकर मौखिक बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़	
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। पत्रावली के संबंध में मूल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जा चुका है। अतः अब इस विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं है, अतः	

फर्द अहकाम

नूरखां बनाम इमाम अली वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 96/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पत्रावली को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधि० की खारिज किया जाता है। नियमित मामला को इन्द्राज किया जावे। पत्रावली फौरन दुरुस्त होकर नायब से काम हो नकल बाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़